

विज्ञापित / इशतहार नीलाम

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बुलन्दशहर की समस्त तहसीलों व कलैक्ट्रेट कार्यालय की रद्दी कागजों के निस्तारण हेतु निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। उक्त निविदा सील बन्द लिफाफे में दिनांक 17-06-15 तक अपर जिलाधिकारी-प्रशासन, बुलन्दशहर के कार्यालय में उपलब्ध करायी जानी है, जिसे उसी दिन अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपराह्न 4.00 बजे खोली जायेगी। निविदा की शर्तें निम्नवत हैं:-

- 1- निविदायें दिनांक 31.03.2016 तक की अवधि के लिये रद्दी कागजों के निस्तारण हेतु आमन्त्रित की जा रही हैं।
- 2- उच्चतम दर देने वाले निविदादाताओं की दर स्वीकृत की जायेगी।
- 3- निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था को अर्नेस्ट मनी के रूप में अंकन-1000/-की एन0एस0सी0 सहित निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- 4- उच्चतम दर से निविदादाता को जिलाधिकारी महोदया के साथ निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध करना होगा, जिसका व्यय भार संबंधित ठेकेदार/व्यक्ति/संस्था स्वयं वहन करेगी।
- 5- द्विअर्थी निविदा/कोटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 6- किसी भी निविदा/कोटेशन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी महोदया में सुरक्षित रहेगा।
- 7- उच्चतम दर वाले व्यक्ति/संस्था को रद्दी उठाने के समय नियमानुसार व्यापार कर पृथक से जमा करना होगा।
- 8- यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि में स्वीकृत दर पर रद्दी नहीं उठाता है और उसका ठेका निरस्त हो जाता है, तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गयी एन0एस0सी0/धरोहर राशि बहक सरकार जब्त कर ली जायेगी।
- 9- विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बुलन्दशहर रहेगा।

(विशाल सिंह)

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)

बुलन्दशहर।

संख्या 126 /नाजिर सदर तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- समस्त जिलाधिकारी, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 3- समस्त उप जिलाधिकारी व तहसीलदार, जनपद बुलन्दशहर।
- 4- जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 5- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें, बुलन्दशहर।
- 6- अधीक्षण, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 7- सम्पादक, दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र, बुलन्दशहर को इस आशय से भेजी जा रहीं हैं कि उक्त विज्ञापित का समाचार पत्र में प्रकाशन कराकर, उसकी प्रति मय बिल सहित नजारत अधिष्ठान कलैक्ट्रेट बुलन्दशहर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- श्री एम0पी0 सिंह, जिला विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, बुलन्दशहर को इस आशय से कि वह जनपद की वैबसाईड पर अप लोड करना सुनिश्चित करें।
- 9- नाजिर सदर कलैक्ट्रेट बुलन्दशहर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)

बुलन्दशहर।